

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-17 पार्ट -2/2018/

दिनांक:-

अधीक्षक

सामुहिक चिकित्सालय संघ,
अजमेर ।

विषय:- अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 6590 दिनांक 26.4.18 एवं 7272 दिनांक 8.5.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके द्वारा निम्नांकित कार्मिको के असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु जीए-45 संलग्न कर भिजवाया गया है में कार्मिको के द्वारा स्वयं की बीमारी होना अंकित किया है किन्तु उनके द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सम्बन्धित से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवावे जिससे कार्मिको का अवकाश स्वीकृत किया जा सके ।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम /पिता /पति का नाम	दिनांक तक	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का कारण
1	अन्जु कुमारी बुडानिया / हरलाल सिंह	06.04.17 24.4.17	17.4.17 08.5.17	12 दिवस 15 दिवस	स्वयं की बीमारी
2	मंजू मैतवाल	28.9.16		01 दिवस	स्वयं की बीमारी
3	धापू कुमारी मीणा	13.9.16	25.09.16	13 दिवस	स्वयं की बीमारी
4	पिकी मूलचंदानी	23.4.17	09.05.17	17 दिवस	स्वयं की बीमारी

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-17 पार्ट 2/2018/1360

दिनांक:-8/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर